


20.11.2024:—पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी का मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज हो चुका है। मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

  
सहायक क्लर्क  
एवं उपखण्डाधिकारी  
कानपुर

